

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2176 /2020 दिनांक 25.11.2020

सुश्री निधि शर्मा-II (RJ1075), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-07, जयपुर महानगर-II को दिनांक 01.12.2020 से 11.12.2020 तक 11 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री शर्मा-II की अनुपस्थिति में विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-08, जयपुर महानगर-II इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-07, जयपुर महानगर-II के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा में
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/63/2016/5283

दिनांक 25.11.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 1524 दिनांक 07.11.2020 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री निधि शर्मा-II (RJ1075), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-07, जयपुर महानगर-II
4. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-07, जयपुर महानगर-II
5. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-08, जयपुर महानगर-II

सहायक रजिस्ट्रार